

2607

2542



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 8c757e4e06d25822e3e4

Receipt Date : 07-Jun-2021 11:23:05 am

Receipt Amount : 37280/-

Amount In Words : Thirty Seven Thousands Two Hundred And Eighty Rupees Only

Token Number : 20210000051122

Office Name : SRO - Palamu

Document Type : Sale Deed

Payee Name : RADHA KRISHNA TIWARI (Vendor)

GRN Number : 2105871398



:- For Office Use :-

राधा कृष्णा तिवारी

निबंधन अधिनियम 21 तथा छोटानागपुर
कारतकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के
अधीन एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899
अनुसूची 1 या 1क सं. 23 के अधीन
यथावत स्टाम्प सहित

7/6/21

निबंधन अधिनियम 21
7/6/21

P.K.
7/6/21

Transaction Success! Please Note Your Transaction Id.

Name	RadhaKrishnaTiwari
Token No / Depositor ID	20210000051122
Amount	37280
Transaction ID	8c757e4e06d25822e3e4
GRN	2105871398
CIN	10002162021060703309
Time	2021-06-07 11:23:05

राधा कृष्णा तिवारी

Sale Ds 932000

37280



Vivek Kumar
Advocate
ENR No.- JH40713



श्री राधाकृष्ण तिवारी पिता स्व० दशरथ तिवारी
का कस प डी 0 932000 का कस
प्राकृतिक किष्ण
120.9-6-021

प्रतिबंधित रूप से फॉट
संख्या 1831

Online Fee Paid
ID/GRN No. 2105871586

A (1) 27960
L. L. R. 3
P. Fee

27967

1. नाम वो पता लेख्यकारी :-
श्री राधाकृष्ण तिवारी पिता स्व० दशरथ तिवारी,
जाति-ब्राह्मण, निवासी ग्राम बारालोटा, पोस्ट जी०एल०ए०
कॉलेज कैम्पस, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, पेशा खेती,
नागरिकता, भारतीय। पैन नं०-BVQPT5465G
शपथ पत्र संख्या 1310, दिनांक 7/6/21

2. नाम वो पता लेख्यघारी :-
श्री रमेश कुमार पाण्डेय पिता श्री शिव शंकर पाण्डेय, जाति
ब्राह्मण, निवासी ग्राम तेतरियाड़ीह, पोस्ट-धनगांव, थाना
लेस्लीगंज, जिला पलामू, पेशा नौकरी, भारतीय।
पैन नं०-CILPP9124M शपथ पत्र संख्या 1311 दिनांक 7/6/21

पदमन दामोदर तिवारी
पिता राधाकृष्ण तिवारी
दशरथ तिवारी
7/6/21



रक्षा कृष्ण निवासी
7/6/21

Advocate
ENR No.- JH46/16



06
आज दिनांक 07/06/21 को 10 से 12 तक
के पूर्वाह्न में
श्री राधा कृष्ण निवासी
पिता/पति रक्षा कृष्ण निवासी
ग्राम रक्षा कृष्ण निवासी
थाना रक्षा कृष्ण जिला पारसगढ़
जाति रक्षा कृष्ण
ने दस्तावेज निबन्धन हेतु कोर्टालय में उपस्थित किया।



7/6/21

3. विक्रम वरीका :- विक्रय-पत्र।
4. तायदाद जरामन:- निर्धारित मूल्य 9,32,000 (नौ लाख बत्तीस हजार रुपये) तय मूल्य:- मो० 9,32,000 (नौ लाख बत्तीस हजार रुपये) दर:- 2,33,000 आवासीय।
5. तायदाद सम्पति :- गवाजी 4 डी० (बार डी०) जमीन आवासीय योग्य अंदर वाके मौजा बारालोटा, थाना वो नगरनिगम मेदिनीनगर, लेख्यकारी की हकीयत रैयती मौरुपी जायदाद है जिसे विक्रेता के पिता ने निबंधित विक्रय पत्र संख्या-7388, दिनांक 19.06.1989 के द्वारा अर्जित किया था। जिसका डिमाण्ड भौलुम सं० 17 पेज सं० 13 पर विक्रेता के पिता के नाम से चलता है जिसका मालगुजारी रसीद कट रहा है एवं लेख्यकारी अपने पिता के मरणोपरांत अपने माई के साथ बंटवारा कर विक्रय सम्पति वो अन्य जायदाद पर दखल कब्जा में निर्विवाद रूप से चले आ रहें है। अन्दर जिला निबंधन कार्यालय एवं नगर निगम वो अंचल कार्यालय मेदिनीनगर, जिला पलामू है। विक्रय भूमि सैनिक या असैनिक कार्य से संलग्न नहीं हैं। सिलिंग, वन सीमा, रेलवे से मुक्त है एवं मठ, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गैर-मजरुआ भूईहरि, पहनई, भूदान से मुक्त है। वर्तमान भूमि का श्रेणी आवासीय है। उपर वर्णित सम्पति का नजरिया-नक्शा संलग्न है, जिसे लाल रंग से दर्शाया गया है।

मौजा	थाना नं०	तौजी नं०	खेवट नं०	वार्ड नं०	नगर निगम हो सं०
बारालोटा	198	56	01	06	06A0000063000MO

विक्रय पत्र संख्या 12388
120-9-6-021

12/9/21
13/10/21

खाता न०	प्लॉट नं०	विक्री रकवा	चौहदी
130 (एक सौ तीस)	1831 (अठारह सौ एकतीस)	4 डी०	उ०-निज विक्रेता द०-मोरम रोड, राधा कृष्ण तिवारी पू०-प्लॉट नं०-1840, राजन तिवारी प०-सत्य प्रकाश तिवारी

मालगुजारी सालाना:- 1 (एक) रूपया अलावे शेष।

नाम मालिक :- स्टेट झारखण्ड वजरीये अंचल पदाधिकारी
मेदिनीनगर, पलामू।

विदित हो कि उपरोक्त संपत्ति लेख्यकारी की हकीयत रैयती मौरुषी जायदाद है जो पिता के द्वारा खरीदगी जायदाद है, सम्पत्ति का डिमाण्ड बिक्रेता के पिता के नाम से चलता है। जिसपर वर्तमान में लेख्यकारी निर्विवाद दखल कब्जा में अपने बंटवारा से प्राप्त भूमि पर चला आ रहा है।

उपरोक्त संपत्ति पर किसी प्रकार का ऋण भार नहीं है सभी तरह से पाक वो साफ है, जिसपर लेख्यकारी बराबर से कायम वो काविज दाखिल चले आ रहे हैं।

चूँकि इस समय लेख्यकारी को रूपये की सख्त जरूरत अपने पारिवारीक खर्च के निपटारे हेतू है जिसके लिए लेख्यकारी ने वसीका खाना पॉच के सम्पत्ति के बिक्री का सोचा एवं ऐलान किया तो खरीदार वसीका हाजा उचित बाजार मूल्य देकर विक्रय सम्पत्ति खरीद करने को तैयार हुए जिसे वक्त जरूरत पर सही कीमत मान कर लेख्यकारी ने खरीदार वसीका हाजा के साथ विक्री तय कर दिया।

आगे मैं लेख्यकारी अपनी हकीयत रैयती मौरुषी जायदाद वर्णित खाना नं० पॉच जो पूरी तरह से पाक वो साफ है को बिना

राधा कृष्ण तिवारी

2-6-021

जगत - Amit Kumar Tiwary

07-06-2021

किसी बहकावा एवं दबावट के अपने मन एवं शरीर की पूर्ण स्वस्थता में वसीका हाजा के लेख्यधारी के साथ विक्रय कर दिया एवं जरसम्मन का कुल तय रूपया मो0 9,32,000 (नौ लाख बत्तीस हजार रूपये) को लेख्यकारी ने लेख्यधारी से चेक संख्या 635861, 635863, 635864 एवं बैंक खाता वो नगद द्वारा पूरी तरह से वसूल पा लिया है एवं आज की तारीख से सम्पूर्ण हक वो स्वामित्व के साथ लेख्यधारी को दखल कब्जा दे दिया है।

अब चाहिए कि लेख्यधारी वसीका हाजा विक्रय संपत्ति पर कायम वो काविज रह कर उसे अपने मसरफ में लावें घर मकान बनावे एवं अपने हिसाब से फायदा उठावे एवं अंचल में अपने नाम से होल्डिंग डिमांड खोलवाकर मालगुजारी अदा करते रहे एवं रसीद हासिल करते रहें। इसमें मुझ लेख्यकारी या मेरे वारिशानों एवं हिस्सेदारों को कोई भी तरह का एतराज नहीं है और न भविष्य में कभी होगा।

इसलिए मैं अपने कुल होशो हवास एवं राजी खुशी से यह विक्रय पत्र बनाम व बहक लेख्यधारी वसीका हाजा के नाम लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

आज दिनांक-07.06.2021



Vivek Kumar
Advocate
ENR No.- JH46/15

Ramesh Kumar Pandey



राधा कृष्ण शर्मा
वसीका हाजा के लेख्यधारी

युभाजित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति निम्न -
 1. विक्रय पत्र के लेख्यधारी एवं वसीका हाजा के लेख्यधारी
 2. विक्रय पत्र के लेख्यधारी एवं वसीका हाजा के लेख्यधारी
 3. विक्रय पत्र के लेख्यधारी एवं वसीका हाजा के लेख्यधारी

विक्रय पत्र
 7/6/21

विक्रय पत्र
 7/6/21
 11/11/21